राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
E-mail ID – smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांकः– रास्कूशिप/जय/औ.शि./दिशा–निर्देश/BRC Grant/2025–26/ दिनांकः–

ब्लॉक संदर्भ केन्द्र ग्रांट (BRC Grant)
दिशा–निर्देश सत्र 2025–26

उद्देश्यः–

समग्र शिक्षा की गतिविधियों का संचालन/क्रियान्वयन विद्यालयों में किया जाता है। विद्यालयों में आयोजित गतिविधियों के सफल संचालन एवम् उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु आवश्यक है कि इनकी ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों के माध्यम से सघन मॉनीटरिंग की जाए। साथ ही समय–समय पर ब्लॉक कार्यालय के रख–रखाव तथा समीक्षा बैठकों का आयोजन इत्यादि के साथ–साथ कार्यालय कार्य को गति देने एवं प्रभावी बनाना है। इस हेतु समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025–26 में राज्य के 358 ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (बीआरसी) को ब्लॉक संदर्भ केन्द्र के कार्य संचालन एवं अकादमिक सहायता हेतु **"बीआरसी ग्रान्ट"** का बजट प्रावधान किया गया है। है। **राशि का उपयोग सारणी–1 के अनुसार किया जाना है।**

वित्तीय वर्ष 2025–26 में **आवर्ती मद** में प्रति ब्लॉक कार्यालय हेतु 0.70 लाख रूपये (अक्षरे सत्तर हजार रूपये) प्रावधित है। जिलावार स्वीकृत राशि परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

1) वित्तीय प्रावधान – प्रति ब्लॉक निम्नानुसार बजट का प्रावधान किया गया है –

आवर्ती मद				
कन्टेन्जेन्सी	**मीटिंग, टीए**	**टीएलएम**	**मैन्टीनेन्स**	**कुल बजट**
30,000	30,000	5,000	5,000	**70000**

2) वित्तीय व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं –

(1.) <u>आवर्ती मद</u> –

- **<u>कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट</u>** में से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष, शाला दर्पण फीड़िग, इन्टरनेट बिल इत्यादि संबंधी खर्च एवं मॉनिटरिंग का खर्चा शामिल है। इन व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की रोकड़ बही में इन्द्राज किया जाएगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी।
- **<u>मीटिंग, टी.ए ग्रान्टस</u>** में से मीटिंग में उपस्थित होने पर अल्पहार का भुगतान आहरण कर सकेंगे। बीआरसी सूचना प्राप्त करने, मॉनीटरिंग के लिए विजिट करने पर राजकीय नियमानुसार टीए प्राप्त किया जा सकेगा, जिसका समायोजन मीटिंग, टी.ए. मद में किया जाएगा।
- **<u>टीएलएम ग्रान्ट</u>** में से बीआरसी अपने अधीन विद्यालयों में शैक्षिक सम्बलन प्रदान करने हेतु टीएलएम राशि का उपयोग करेंगे तथा अपने अधीनस्थ विद्यालयों को शैक्षिक सम्बलन में विभिन्न प्रकार के विज्ञान, गणित व सामाजिक ज्ञान में शैक्षिक नवाचार अपनाने एवं टीएलएम निर्माण किया जा सकेगा।
- **<u>मेन्टीनेंस ग्रान्ट</u>** में से बीआरसी कार्यालय की छोटी–मोटी मरम्मत/रख–रखाव, रंगाई–पुताई इत्यादि के कार्य हेतु राशि का उपयोग लिया जा सकेगा।
- अति0 जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा; ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनु[illegible] (B[illegible]Grant) एवं दिशा निर्देश 2025–26 समस्त ब्लॉक कार्यालयों को जारी किया जाना सुनिश्चित [illegible] साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग यो[illegible] रूप से करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.09 18:29:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15713233

3) मॉनीटरिंग :–

- ब्लॉक कार्यालयों को जारी की जाने वाली राशि का उपयोग वित्तीय नियमानुसार किये जाने की जांच /निरीक्षण हेतु जिला स्तर के अधिकारी माह में एक बार ब्लॉक कार्यालयों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।
- राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा जिले में गतिविधियों की मॉनीटरिंग के दौरान ब्लॉक कार्यालयों का भी निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता को इस राशि के उपयोग एवं बचत की जानकारी उपलब्ध करवायेंगे।
- जिला कार्यालय द्वारा वित्तीय सत्र की समाप्ति पूर्व समस्त ब्लॉक से राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा संकलित सूचना परिषद कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
- राशि उपयोग की सुनिश्चितता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है –

जुलाई से सितम्बर	**अक्टूबर से दिसम्बर**	**जनवरी से फरवरी तक**
40%	30%	30%

- बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

4) लेखा नियम –

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये।
3. **राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।**
4. **क्रय की जाने वाली सामग्री में ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013'' की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।**

विशेष – परिषद कार्यालय से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त जिला कार्यालय तीन दिवस में ब्लॉक कार्यालय को राशि आहरण की स्वीकृति जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

5) उपयोगिता प्रमाण पत्र –

- सीबीईओ कार्यालय से प्रपत्र–1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र–2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय परिषद् मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।

RajKaj Ref No.: 15713233

प्रपत्र –1 A-1

कार्यालय ब्लॉक .... **जिला ....**

ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि BRC .... को सत्र 2025–26 में कन्टेन्जेन्सी, मीटिंग टी.ए., टीएलएम, मेन्टीनेन्स हेतु प्राप्त राशि रू. .... एवं पूर्व अवशेष राशि रूपये .... कुल राशि रूपये .... का उपयोग परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार किया जाकर कैश बुक के पृष्ठ संख्या .... पर इन्द्राज कर लिया है।

वर्ष	प्राप्त राशि				खर्च की गई राशि				उपयोग पश्चात शेष राशि			
	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मेन्टीनेंस	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मेन्टीनेंस	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मेन्टीनेंस

हस्ताक्षर
बीआरसी प्रभारी/ CBEO
....

प्रपत्र –2 A-2

जिला ....

जिला स्तरीय ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025–26 में **ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान** मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से जिले की कुल .... बीआरसी को .... राशि जारी की गई एवं परिषद् के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाकर .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है।

उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी
....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
....

RajKaj Ref No.: 15713233

जिलेवार बजट प्रावधान निम्नानुसार है :–

S. No.	District Name	Contingency Grant @0.30 (in lacs)		Meeting, TA @0.3 (in lacs)		TLM @0.05 (in lacs)		Maintenance Grant @05 (in lacs)		Total	
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	AJMER	11	3.3000	11	3.3000	11	0.5500	11	0.5500	11	7.7000
2	ALWAR	16	4.8000	16	4.8000	16	0.8000	16	0.8000	16	11.2000
3	BANSWARA	11	3.3000	11	3.3000	11	0.5500	11	0.5500	11	7.7000
4	BARAN	8	2.4000	8	2.4000	8	0.4000	8	0.4000	8	5.6000
5	BARMER	21	6.3000	21	6.3000	21	1.0500	21	1.0500	21	14.7000
6	BHARATPUR	12	3.6000	12	3.6000	12	0.6000	12	0.6000	12	8.4000
7	BHILWARA	14	4.2000	14	4.2000	14	0.7000	14	0.7000	14	9.8000
8	BIKANER	9	2.7000	9	2.7000	9	0.4500	9	0.4500	9	6.3000
9	BUNDI	5	1.5000	5	1.5000	5	0.2500	5	0.2500	5	3.5000
10	CHITTAURGARH	11	3.3000	11	3.3000	11	0.5500	11	0.5500	11	7.7000
11	CHURU	7	2.1000	7	2.1000	7	0.3500	7	0.3500	7	4.9000
12	DAUSA	11	3.3000	11	3.3000	11	0.5500	11	0.5500	11	7.7000
13	DHAULPUR	6	1.8000	6	1.8000	6	0.3000	6	0.3000	6	4.2000
14	DUNGARPUR	10	3.0000	10	3.0000	10	0.5000	10	0.5000	10	7.0000
15	GANGANAGAR	9	2.7000	9	2.7000	9	0.4500	9	0.4500	9	6.3000
16	HANUMANGARH	7	2.1000	7	2.1000	7	0.3500	7	0.3500	7	4.9000
17	JAIPUR	26	7.8000	26	7.8000	26	1.3000	26	1.3000	26	18.2000
18	JAISALMER	7	2.1000	7	2.1000	7	0.3500	7	0.3500	7	4.9000
19	JALOR	10	3.0000	10	3.0000	10	0.5000	10	0.5000	10	7.0000
20	JHALAWAR	8	2.4000	8	2.4000	8	0.4000	8	0.4000	8	5.6000
21	JHUNJHUNU	11	3.3000	11	3.3000	11	0.5500	11	0.5500	11	7.7000
22	JODHPUR	22	6.6000	22	6.6000	22	1.1000	22	1.1000	22	15.4000
23	KARAULI	8	2.4000	8	2.4000	8	0.4000	8	0.4000	8	5.6000
24	KOTA	6	1.8000	6	1.8000	6	0.3000	6	0.3000	6	4.2000
25	NAGAUR	15	4.5000	15	4.5000	15	0.7500	15	0.7500	15	10.5000
26	PALI	10	3.0000	10	3.0000	10	0.5000	10	0.5000	10	7.0000
27	PRATAPGARH	8	2.4000	8	2.4000	8	0.4000	8	0.4000	8	5.6000
28	RAJSAMAND	8	2.4000	8	2.4000	8	0.4000	8	0.4000	8	5.6000
29	SAWAI MADHOPUR	7	2.1000	7	2.1000	7	0.3500	7	0.3500	7	4.9000
30	SIKAR	12	3.6000	12	3.6000	12	0.6000	12	0.6000	12	8.4000
31	SIROHI	5	1.5000	5	1.5000	5	0.2500	5	0.2500	5	3.5000
32	TONK	7	2.1000	7	2.1000	7	0.3500	7	0.3500	7	4.9000
33	UDAIPUR	20	6.0000	20	6.0000	20	1.0000	20	1.0000	20	14.0000
	TOTAL	**358**	**107.4000**	**358**	**107.4000**	**358**	**17.9000**	**358**	**17.9000**	**358**	**250.6000**

प्रबन्ध पोर्टल एवम् एस.एन.ए. की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(अनुपमा जोरवाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवम् आयुक्त

क्रमांकः रास्कूशिप / जय / वै.शि. / 2025–26 / **दिनांकः**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
2- निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
3- निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राज0, बीकानेर।
4- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (I) एवं (II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
5- निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
6- समस्त उपायुक्त, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
7- समस्त उपनिदेशक / सहायक निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
8- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
9- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
10- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त ब्लॉक को [illegible] है कि दिशा निर्देशानुसार राशि का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।
11- रक्षित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.09 18:29:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15713233